रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269963
CG-DL-E-10022026-269963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

भारतीय उपचर्या परिषद

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली 3 जनवरी, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. 18–20/सरकार/2024–आईएनसीः—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती हैः–

जबकि, मणिपुर राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों को राज्य सरकार तथा मणिपुर नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने हेतु अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार, कमरा नं. 177 मणिपुर सचिवालय, साउथ ब्लॉक, इम्फाल–795001, मणिपुर को एक नोटिस संख्या 18–20/सरकार/2024–आईएनसी (63690) **दिनांक 08.11.2024** को जारी किया गया था। दिनांक 08.11.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति मणिपुर नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिशें परिषद को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, निम्नलिखित संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार या मणिपुर नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् के तस्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाए गए हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि **दिनांक 07.08.2025 से, निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल मणिपुर राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।**

संस्थानों की सूचीः–

1. रॉयल स्कूल ऑफ नर्सिंग, इरदेओ कॉम्प्लेक्स, वांगबल, थॉउबल, थॉउबल–795138, मणिपुर (एएनएम)
2. मणिपुर नर्सिंग इंस्टिट्यूट, टेंथा थोंगखोंग बाजार वांगजिंग, जिला थॉउबल–795148, मणिपुर (एएनएम)
3. फीमेल हेल्थ वर्कर इंस्टिट्यूट स्कूल, जिला अस्पताल के पास, जिला बिष्णुपुर–795126, मणिपुर (एएनएम)
4. सिरॉय स्कूल ऑफ नर्सिंग, सगोलबंद टेरा लॉउक्रकपम, लेईकाई, मणिपुर (जीएनएम)

डॉ० टी० दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./663/2025-26]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 3rd Febuary, 2026

International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. 18-20/Govt./2024 - INC— In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, the following institutions located in the State of Manipur were recognized by the State Government and the Manipur Nurses & Midwives Council to conduct nursing courses.

Whereas, a notice no. 18-20/Govt./2024-INC (63690) dated **08.11.2024** for withdrawal of recognition under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, was issued to Additional Chief Secretary (Health & FW) Department of Health & Family Welfare, Government of Manipur, Room 177 Manipur Secretariat, South Block, Imphal-795001, Manipur. A copy of the notice dated 08.11.2024 was also sent to the Manipur Nurses & Midwives Council. In the notice issued, the State Government was requested to submit its recommendations to the Council regarding the suitability of the nursing institutions.

Whereas, the Council has not received any remarks or recommendation from the State Government or the Manipur Nurses & Midwives Council regarding the suitability of the below-mentioned institutions.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. The Indian Nursing Council records show that these institutions have failed to apply for statutory inspection for several years and were found deficient/unsuitable for conducting nursing programmes.

Now therefore, the Council, exercising powers under Section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that with effect from 07.08.2025, **any person holding a recognized qualification from the following institutions shall be entitled to be registered only in the State of Manipur.**

List of Institutions:

1. Royal School Of Nursing, Irdeo Complex, Wangbal, Thoubal Thoubal 795138, Manipur (ANM)
2. Manipur Nursing Institute, Tentha Thongkhong Bazar Wangjing, Distt. Thoubal 795148, Manipur (ANM)
3. Female Health Worker Training, School, Near District Hospital, Distt. Bishnupur 795126, Manipur (ANM)
4. Siroy School Of Nursing, Sagolband Tera Loukrakpam, Leikai, Manipur (GNM)

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./663/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.10 12:07:15 +05'30'